न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 17 / 2025

रमेश पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी ढिगारिया भीम तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश तहसीलदार तहसील बैजूपाडा दिनांक 08.08.2023 मुकदमा नंबर 44/2023 उनवान सरकार बनाम रमेश आदि अंतर्गत धारा 91 एल आर एक्ट व तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा जारी किये गये नोटिस दिनांक 16.09.2025 क्रमांक राजस्व/2025/289

उपस्थित : 1. श्री सांवल राम मीना, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 17.11.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.8.2023 जो कि उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रमेश प्रकरण सं0 44/2023 को ग्राम ढिगारिया भीम के खसरा नंबर 401 रकबा 0.01है. पर पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट व रामलहरी के विरूद्व एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ढिगारिया भीम में आराजी खसरा नंबर 401 कुल रकबा 0.01 है० भूमि मे से 0.01 है० भूमि किस्म गै०मु० रास्ता पर संवत 2080 में पक्की दिवार निर्माण कर अतिचार किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट रमेश अधिनस्थ न्यायालय तहसील की न्यायालय में उपस्थित हुआ व उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर किये व जवाब हेतु मौका चाहा जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहा कि पुनः नोटिस देकर बुला लिया जावेगा तथा प्रार्थी की गैर मौजूदगी में पीछे से निर्णय पारित कर दिया व अपीलान्ट को बेदखल करने व पैनल्टी से दंडित करने के अवैध आदेश पारित कर दिये जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी क्योंकि अपीलान्ट के समक्ष कोई निर्णय ही पारित नहीं किया गया इसलिए निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 08.08.2025 को अपीलान्ट को तहसीलदार द्वारा एक नोटिस क्रमांक 250 दिनांक 20.08.2025 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा नोटिस दिनांक 16.09.2025 के संबंध में एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 14721/25 रमेश आदि बनाम स्टेट प्रस्तुत की जिसका माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.09.2025 को रिट पिटीशन का निर्णय करते हुए आदेश दिया कि उक्त ... व कार्यवाही के विरूद्व अधिनस्थ जिला कलेक्टर की सक्षम न्यायालय ... पर अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल हेतु दिनांक 07.10.2025 ... नकल की प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 07.10.2025 को प्राप्त हुई इसलिए यह अपील जानकर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो की पालना में पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय हैं। अपीलान्ट ने किसी भी गै०मु० रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:11 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को न तो जवाब का मौका दिया और न ही कोई साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया । जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर ही कोई निर्णय पारित किया जाना चाहिए इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट रमेश अधिनस्थ न्यायाल के समक्ष दिनांक 08.08.2023 को उपस्थित जरूर हुआ था तथा उपस्थित हेतु हस्ताक्षरभी आर्डरशीट पर किये थे। प्रार्थी अपलान्ट ने जवाब व सबूत के लिए मौका भी चाहा था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दुबारा नोटिस देकर बुलाने की कही थी परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के चले जाने के पश्चात पीछे से जेर अपील निर्णय पारित किया है जो कतही अवैधानिक है व कानून व नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट कुनिन्दा पटवारी हल्का तक के बयान दर्ज़ नहीं किये और न ही उसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट ही प्रदर्शित हुई। इसलिए रिपोर्ट प्रदर्शित हुये बगैर साक्ष्य में ग्रह योग्य नहीं थी तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय कतही अवैधानिक होने के कारण निरस्तनीय है। पत्रावली पर न तो कोई पश्चयावर्ती अतिकर्मी होने का निर्णय व सबूत है और न ही अतिक्रमण व निर्माण करने के संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य ही नहीं है। उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक रूप से पैनल्टी व बेदखली के आदेश पारित किये है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.08.2023 व नोटिस क्रमांक 289 दिनांक 16.09.2025 को भी निरस्त फरमाते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट्स ने राजकीय सिवायचक गै0मु0रास्ता भूमि खसरा नंबर 401 रकबा 0.01है0 पर पक्की दीवार लगाकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत [illegible] सीमों में अंकित तथ्यों पर गौरपूर्वक अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय चरागाह भूमि खसरानंबर 231 रकबा 0.03है. पर पक्की दीवार [illegible] किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स अधीनस्थ तहसीलदार बैजूपाडा के न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया है कि अपीलांट द्वारा अपने गांव में उक्त भूमि पर लगभग 40 वर्षों से निवास करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

आ रहे है तथा लाईट बिजली बिल उक्त भूमि पर कनेक्शन है तथा राजनीतिक द्वेषता की भावना से कुछ सामाजिक लोगों द्वारा झूंठी शिकायत कर प्रार्थीगण की बाउंड्री को तुडवाने का प्रयास कर रहे है। प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने की कृपा करें। जिससे यह सिद्ध होता है कि अपीलांट के द्वारा राजकीय सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि खसरा नंबर 401 रकबा 0.01है. पर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिचार किया जाना सिद्ध होता है। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.8.2023 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:11 IST
Reason: SelfAttested